न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 938 सन 2026

(CNR No. UPFT–010024622026)

नौशाद अहमद पुत्र मुन्ना मूल निवासी ग्राम शाहपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर हाल पता मोहल्ला सात आना कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर उ0प्र0।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 143 सन 2026
धारा: 331 (4), 317 (2) एवम्
305(ए) भारतीय न्याय संहिता
थाना: ललौली, जनपद फतेहपुर।

02.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्त नौशाद अहमद की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 143 सन 2026 अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए) व 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना ललौली जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से फकीरे द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संतोष यादव ने दिनांक 23.05.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि दिनांक 14.05.2026 को उसकी दो बड़ी भैंसें व दो छोटी पडिया व एक पडवा घर में बंधे थे जिनको अज्ञात चोरों द्वारा दरवाजा खोलकर रात्रि में चोरी कर ले गये। उसे शंका है कि अढावल गांव का रहने वाला झब्बू सिंह ने

अपने साथियों के साथ किया है। वह अपनी भैंसो को खोज रहा था, नहीं मिलने पर आया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी सहित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में साजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक ने कोई चोरी नहीं किया और न ही उसके कब्जे से कोई बरामदगी हुई है, कथित बरामदगी फर्जी है। कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। आवेदक प्राथमिकी में नामजद नहीं है और प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक सजायाफ्ता नहीं है और वह दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है किन्तु दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा दिनांक 23.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्त झब्बू के साथ गिरफ्तार किया गया एवं सह अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा और आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से मु0 22,300/– रूपये व सह अभियुक्त झब्बू के कब्जे से मु0 23,500/– रूपये बरामद किया गया जो प्रस्तुत प्रकरण में वादी के चोरी भैंस आदि को बेंचने से प्राप्त रूपये है। दौरान विवेचना सह अभियुक्त मनोज को पुलिस द्वारा दिनांक 26.05.2026 को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 4,200/– रूपये बरामद किये गये जो प्रस्तुत प्रकरण में वादी के चोरी भैंस आदि को बेंचने से प्राप्त रूपये है। विवेचक द्वारा अब तक की विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ वादी के घर से बर्तन चोरी किया। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 14.05.2026 को वादी की दो बड़ी भैंस, दो छोटी पडिया व एक पडवा घर से अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में चोरी कर ले जाने व यह चोरी अढावल गांव का रहने वाले झब्बू सिंह द्वारा अपने साथियों के साथ करने का उल्लेख किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार पुलिस

बल द्वारा दिनांक 23.02.2026 को आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्त झब्बू के साथ गिरफ्तार किया जाना एवं उनके कब्जे से मु0 45,800/– रूपये की बरामदगी किया जाना एवं उक्त रूपये प्रस्तुत प्रकरण में वादी के चोरी गये जानवरों को बेंचने से प्राप्त हुए रूपये होना बताया गया है किन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार सह अभियुक्त मनोज को पुलिस द्वारा दिनांक 26.05.2026 को गिरफ्तार किया जाना एवं उसके कब्जे से मु0 4,200/– रूपये बरामद किया जाना बताया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। अभिकथित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, उसमें वह दोषमुक्त हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नौशाद अहमद की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

7. आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक माह की दो तारीख को सम्बन्धित थाने में हाजिरी देगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी अधिकारी को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

दिनांक: 02.06.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.03 12:59:49 +05'30'